तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **डी.आर. मेघवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 121/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.22	अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम निवासी गांव सरेचां, बस स्टैण्ड के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2022 में उसके द्वारा दिनांक 02.02.2022 को तहसीलदार, लूणी को प्रेषित पत्र बाबत प्रार्थी के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जे की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रूकवाने एवं प्रार्थी के हक अधिकार व भौतिक कब्जेसुदा भूमि को खुर्द बुर्द कर तहस नहस करने पर तहसीलदार, लूणी एवं संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें, अन्यथा [illegible] दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति [illegible] सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested